न्यायालय मे श्रीमान राजस्व मंडल, म0प्र0 ग्वालियर,

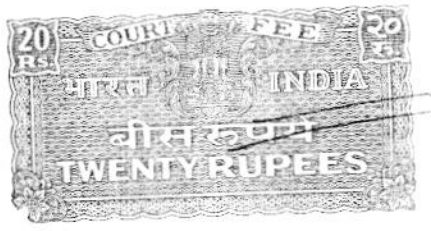

कृपाल बैगा पिता चुटवादा बैगा उम्र 70साल पेशा कृषि निवासी ग्राम घंघरी तह0 बांधवगढ जिला उमरिया म0प्र0 .....पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

डोमारी बैगा पिता महदिया बैगा निवासी घंघरी थाना उमरिया तह0 बांधवबढ जिला उमरिया म0प्र0 .....उत्तरदाता

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश श्रीमान कलेक्टर महोदय उमरिया, जरिये प्रकरण कमांक 13/निगरानी/2011–12 एवं तहसीलदार महोदय तहसील बांधवगढ जरिये राजस्व प्रकरण कमांक 92/अ12/2008–09 आदेश दिनांक 25/1/2010, अंतर्गत धारा 50 का0मा0

निवेदन है कि –

संक्षिप्त तथ्य

यह कि आराजी खसरा नम्बर 267/4 रकवा 1.70 एकड ग्राम घंघरी तह0 बांधवगढ जिला उमरिया म0प्र0 का मालिक भूमिस्वामी काबिजदार पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक है जिसके चौहद्दी की आराजी ख0नं0 268/2 एवं 268/1ग्राम घंघरी जो वर्ष 1953–54 के खसरा मुताविक दर्ज भूमिस्वामी सुरजन सिंह है व उक्त आराजी 268 रकवा 2.07ए0 के अंश रकवा 0.50एकड मे पुनरीक्षणकर्ता के पिता चुटवादा का नाम कब्जेदार के रूप मे दर्ज है जो कि पश्चात मे वर्ष 1958–59 मे सुरजन सिंह के वारिस करनसिंह के नाम दर्ज रही है । इसके पश्चात मे बिना किसी सक्षम आदेश के उक्त सम्पूर्ण आराजी के राजस्व रिकार्ड मे उत्तरदाता ने अपना नाम चोरी छिपे दर्ज कराने के पश्चात उत्तरदाता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे सीमांकन हेतु आवेदन पेश किया गया जिस पर राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन नियमो के विरूद्ध चौहददी काश्तकार पुनरीक्षणकर्ता को व कब्जेदार को सूचित किए बिना ही नक्सातर्मीम व सीमांकन कर प्रतिवेदन अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

2

प्रकरण क्रमांक- निग.-4296-तीन/2013 जिला-उमरिया

कृपाल बैगा विरूद्ध डोमारी बैगा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री अंजनी कुमार सोनी एवं अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री दानवेन्द्र मिश्रा उपस्थित। 3. यह निगरानी कलेक्टर उमरिया जिला- उमरिया के प्रकरण क्रमांक- 13/निगरानी/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 12-08-2013 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक ~~12.12.2013~~ 09.10.2013 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय	

22/01/19

आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 28-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर आयुक्त शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त शहडोल के न्यायालय में भेजा जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

22/01/19

(आर.के. जैन)
सदस्य